लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1191

19 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण

1191. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
श्री तालारी रंगैय्याः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच और विश्लेषण करने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया है तथा क्या उत्पादों को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के दायरे के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त और जांच किए गए ऐसे आवेदनों की कुल संख्या कितनी है तथा इनका राज्य-वार विवरण क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): जी, हाँ। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उत्पादों के आयात के लिए आवेदनों की जांच करने हेतु कि आयात किए जा रहे इस्पात उत्पाद इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की परिधि में आते हैं अथवा नहीं, बीआईएस के अधिकारियों तथा उद्योग के कार्यक्षेत्र संबंधी विशेषज्ञों वाली एक तकनीकी समिति गठित की है। तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर इस्पात मंत्रालय आवेदकों को अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी करता है।

(ग): जबकि विगत में सूचना राज्यवार नहीं रखी जा रही थी, इस्पात मंत्रालय ने 27 जुलाई 2020 से आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित क्यूसीओ पोर्टल स्थापित की है। अब तक पोर्टल पर प्राप्त 742 आवेदनों (**अनुलग्नक**) के राज्यवार ब्योरानुसार आंध्रप्रदेश राज्य से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	आवेदनों की संख्या
1	बिहार	1
2	दिल्ली	11
3	गुजरात	40
4	हरियाणा	51
5	हिमाचल प्रदेश	5
6	झारखंड	4
7	कर्नाटक	41
8	मध्य प्रदेश	2
9	महाराष्ट्र	108
10	पंजाब	43
11	राजस्थान	7
12	तमिल नाडु	141
13	तेलंगाना	9
14	उत्तर प्रदेश	6
15	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	**472**

****